

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)सं.प.अ. / १११ /2020

दिनांक 14.08.2020

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक स्था.(रा.न्या.से.)सं.प.अ./100/2020 दिनांक 29.07.2020 के द्वारा श्रीमती पूर्णिमा गौड़ (RJ0420), विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.)प्रकरण, सिरौही को दिनांक 27.07.2020 से 14.08.2020 तक 19 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 25.07.2020 से 26.07.2020 एवं 15.08.2020 से 16.08.2020 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया था, जिसमें से दिनांक 27.07.2020 से 29.07.2020 तक 03 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) निरस्त किया जाता है ।

आज्ञा से
14/8/2020
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/52/2002/3334

दिनांक 14.08.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सिरौही को उनके पत्रांक 3056 दिनांक 30.07.2020 के सन्दर्भ में ।
3. श्रीमती पूर्णिमा गौड़ (RJ0420), विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.)प्रकरण, सिरौही ।
4. विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.)प्रकरण, सिरौही।
5. श्री दलपतसिंह राजपुरोहित (RJ0402), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-01, आबूरोड़ (सिरौही) ।
6. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-01, आबूरोड़ (सिरौही) ।
7. संबंधित कोषालय ।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर ।

14/8/2020
सहायक रजिस्ट्रार